

शपथ पत्र

नोट:— जिन प्रवेशार्थियों के अध्ययन क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक का व्यवधान है उन्हें अपने अध्ययन में व्यवधान की अवधि के बारे में नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है:—

1. यह कि मैंने सत्र (पिछले सत्र).....में किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन नहीं किया है। मैं किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित भी नहीं किया गया हूँ।
2. यह कि मैं सत्र.....मेंके कारण किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर न पढ़ सका।
3. यह कि मैं भारतीय दण्ड विधान की किसी भी अपराधिक धारा के अन्तर्गत न तो दण्डित हूँ और न विचाराधीन है। यदि ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो तो स्पष्टीकरण दें।
4. यह कि मैं महाविद्यालय में अपने अध्ययन काल में निष्ठापूर्वक अध्ययन करूँगा तथा महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करते हुए अनुशासित रहूँगा।
5. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।

दिनांक:—.....

हस्ताक्षर